निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 25 / 2024
दायरा दिनांकः—29.04.2024
निर्णय दिनांकः— 12.2.25

उनवान

1. छीतरलाल आयु 78 वर्ष आत्मज गोपाललाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी
2. विमलादेवी आयु 72 वर्ष पत्नि छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

1. हरिओम आयु 42 वर्ष आत्मज छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी हाल निवास अस्पताल के सामने डॉक्टर हेमराज अग्रवाल की गली छबडा
2. नरेश शर्मा आयु 48 वर्ष आत्मज छीतरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कालाखेडी हाल निवास सब्जीमन्डी इन्द्रा कॉलोनी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 12.2.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान बलरिया — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 133 / 107 रकबा 1.7705 हेक्टर, खसरा न. 8 रकबा 0.9991 हेक्टर, खसरा न. 89 रकबा 2.0234 हेक्टर, खसरा न. 107 रकबा 1.3532 हेक्टर, खसरा न.118 / 3 रकबा 0.2529 हेक्टर, खसरा न.116 / 2 रकबा 1.8084 हेक्टर, खसरा न. 41 रकबा 0.4300 हेक्टर, खसरा न. 42 रकबा 0.1138 हेक्टर, खसरा न. 43 / 2 रकबा 0.2023 हेक्टर, खसरा न. 53 / 2 रकबा 0.026 हेक्टर, खसरा न. 94 रकबा 1.9096 हेक्टर, वाके माल ग्राम काल्याखेडी तहसील छबडा जिला बारां राज में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थीगण आपस मे पति—पत्नी हैं तथा अप्रार्थीगण उनके पुत्र हैं। जिनकी जिविकापार्जन का एक मात्र साधन उक्त आराजीयात है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जमीन खरीद कर अलग से दी गयी जिन पर वह काबिज हैं। इसके बाद भी प्रतिवादी क्रम 2 हरिओम द्वारा जबरन बलपूर्वक प्रार्थीया विमला को भय मे डालकर 10 बीधा भूमि अपने नान रजिस्टर्ड दान पत्र से करवा ली एवं वादी का टेक्ट्रर, ट्रोली व कृषि यन्त्र पर भी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ब्जा कर लिया है। अब प्रार्थीगणकी बची उक्त भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण, कब्जा कर प्रार्थीगण को उक्त भूमि व उनके मकान से बैदखल करने पर आमादा हैं। जिसका प्रतिवादी व उसके परिजन को कोई वैधानिक अधिकार नही है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात का शान्तीपूर्वक उसका उपभोग–उपयोग काश्त करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसलिऐ अप्रार्थीगण व उसके परिजन, प्रतिनिधि द्वारा उक्त अवैध कृत्य ना करने तथा प्रार्थीगण शान्तीपूर्वक कब्जे काश्त एवं उसके उपभोग–उपयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने उन्हें निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है जो न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रार्थीगण दिनांक 10.3.2024 को अपनी उक्त आराजी पर गया तो वहां पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण, कब्जा करने का असफल प्रयास तो वादी ने मना किया तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ तथा वादी से लडाई–झगडे व मारपीट पर आमादा हुऐ तथा प्रार्थी को जान से मारने की नियत से लकडी से वार किया वादी वहां से जान बचा कर भागा। वरना जान से खत्म कर देता। इसके बाद अप्रार्थी हरिओम ने प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से भयभीत हो गए। उनके साथ कभी–भी उनके साथ अप्रिय घटना घटीत हो सकती है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त आराजी के शान्तीपूर्वक उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने बाबत अप्रार्थीगण को द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रार्थीगण द्वारा उसकी भूमि के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत् अप्रार्थीगण को कई बार समझाया गया इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 10.3.2024 को अपनी उक्त आराजी पर गया तो वहां पर अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण, कब्जा करने का असफल प्रयास तो वादी ने मना किया तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ तथा प्रार्थीगण से लडाई–झगडे व मारपीट पर आमादा हुऐ तथा प्रार्थीगण को जान से मारने की नियत से लकडी से वार किया प्रार्थीगण वहां से जान बचा कर मागा। वरना जान से खत्म कर देता। इसके बाद अप्रार्थी हरिओम ने प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम काल्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 10 नकल जमाबन्दी ग्राम काल्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 82 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम काल्याखेडी में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण पति पत्नि है तथा अप्रार्थीगण उनके पुत्र है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जमीन खरीद कर अलग से दी गयी है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है अप्रार्थी क्रम 2 ने प्रार्थीया विमला से 10 बीघा भूमि अपने नाम दान पत्र करवा लिया है तथा ट्रेक्टर ट्रोली आदि पर भी कब्जा कर लिया है प्रार्थीगण के पास बची भूमि पर भी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को मकान व जमीन से दखल करना चाहतें है प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त करने का वैधनिक अधिकार है। अप्राथीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करते है तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करतें है अप्राथीगण को पाबन्द फरमाया जावें की प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी काल्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 10 एवं सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 82 के अनुसार विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नही है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कबजा कर बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम काल्याखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 133/107 रकबा 1.7705 है0 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.9991 है0 खसरा नम्बर 89 रकबा 2.0234 है0 खसरा नम्बर 107 रकबा 1.3532 है0 खसरा नम्बर 118/3 रकबा 0.2529 है0 भूमि में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा